कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक बी-57/कृषि निवेश/बी-250(टीसी) दिनांक लखनऊ सितम्बर, 19 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ०प्र० ।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि० ।
3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पी.सी.एफ. उ0प्र0।

विषय–इफको/कृभको द्वारा आपूर्तित एनपीके एंव डीएपी के मूल्यों में कमी विषयक।

राज्य विपणन प्रबन्धक इफको लखनऊ के पत्र सं0 2801–03 दिनांक 14.09.2016 तथा पत्रांक 2829–29 दिनांक 15.09.2016 एंव वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक (विपणन) कृभको के पत्र सं0 2944 दिनांक 14.09.2016 द्वारा समितियों को आपूर्ति होने वाले फास्फेटिक उर्वरकों की नई आपूर्ति/बिकी दरें जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में फास्फेटिक उर्वरकों की नवीन दरें निम्नवत संसूचित की जाती है जो दिनांक 15.09.2016 से प्रभावी होंगी :–

क.	विवरण	इफको				कृभको
		एनपीके (ग्रेड–1)	एनपीके (ग्रेड–2)	जिंककेटेड एनपीके (ग्रेड–2)	डीएपी	आयातित डीएपी
1	वर्तमान में समितियों हेतु ईशू प्राईस प्रति मै0टन	20180.00	20290.00	20710.00	21630.00	21630.00
2	कृषको हेतु प्रस्तावित विशेष छूट प्रति मै0टन	1000.00	990.00	990.00	1110.00	1110.00
3	समितियों हेतु प्रस्तावित शुद्व ईशू प्राईस प्रति मै0टन	19180.00	19300.00	19720.00	20520.00	20520.00
4	कृषकों को खुदरा बिकी मूल्य प्रति मै0टन	19660.00	19780.00	20200.00	21000.00	21000.00
5	कृषकों को खुदरा बिकी मूल्य प्रति 50 किग्रा बोरी	983.00	989.00	1010.00	1050.00	1050.00

इफको/कृभको द्वारा आपूर्ति निम्न शर्तो के अधीन की जायेगी:–

1. दिनांक 14.09.2016 की रात्रि को पीसीएफ के बफर गोदाम एंव समितियों के गोदामों में अवशेष (डेफर्ड पेमेन्ट एंव सामान्य) एंव इफको/कृभको एकाउन्ट की अवशेष डीएपी एंव एनपीके और प्रीपोजीशनिंग स्टाक पर भी उपरोक्त दरें लागू होगी । दि0 14.09.2016 की रात्रि को अवशेष संभार पर इफको/कृभको द्वारा अन्तर मूल्य की धनराशि पीसीएफ/समितियों को भुगतान की जायेगी। समिति स्तर पर उक्त सत्यापित उर्वरक सम्भार के सापेक्ष समितियों को केडिट की जाने वाली धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि आपूर्तित उर्वरकों के सापेक्ष इफको/कृभको को समिति और बैंक द्वारा धनराशि का भुगतान कर दिया जाये। पूर्व भण्डारण योजना की

फास्फेटिक उर्वरक के सापेक्ष प्राप्त होने वाली अन्तर मूल्य की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार पृथक से निर्णय किया जायेगा।

2. दिनांक 15.09.2016 से उपरोक्त संशोधित/कमी की दरें प्रभावी हो गयी हैं। अतः पीसीएफ बफर गोदामों एंव समितियों पर इफको/कृभको की डीएपी एंव एनपीके का दि0 14.09.2016 के अवशेष संभार का सत्यापन संलग्न रूप पत्र पर तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सत्यापित स्टाक की सूचना क्षेत्रीय प्रतिनिधि इफको/कृभको को प्रेषित करते हुए सत्यापन प्रेषण की सूचना मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।
3. इफको/कृभको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
4. एम0एफ0एम0एस0 के अर्न्तगत एकनॉलेज करने पर रू0 50.00 प्रति मै0टन की दर से इफको/कृभको द्वारा समितियों को भुगतान किया जायेगा।

संलग्नक–उक्तानुसार।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-57 /कृषि निवेश/बी–250टीसी दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको/कृभको लखनऊ को इस आशय से कि अन्तर मूल्य की धनराशि सम्बन्धित समितियों के खाते में 30 सितम्बर 2016 तक क्रेडिट करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एंव सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता,उ०प्र० लखनऊ।